UPHP120008722020

Presented on : 21-03-2020
Registered on : 21-03-2020
Decided on : 29-07-2026
Duration : 6 years, 4 months, 8 days

IN THE COURT OF
Civil Judge Junior Division
AT Garhmukteshwar,Hapur
(Presided Over by SMT. PARUL KUMARI)

Warrant or Summons Criminal Case/556/2020

सरकार

.....(वादी)

बनाम

1. श्रीमती अनीता त्यागी पत्नी स्व. सुशील त्यागी
निवासी नक्का कुआ रोड, कस्बा व थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश।

.....(अभियुक्ता)

वाद संख्या–199/2020
मु.अ.सं.– 37/2019
अंतर्गत धारा– 420 भा.दं.सं.
थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़।

घटना की तिथि	**अदम परिवाद**
आरोप–पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	21.03.2020
न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने की तिथि	21.03.2020
अभियोग अपराध की धारा	420 भा.दं.सं.
अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने की तिथि	15.05.2026
अभियुक्ता का बयान धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये जाने की तिथि	20.07.2026
निर्णय तिथि	**29.07.2026**
विचारण का परिणाम	**दोषमुक्त**

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद का विचारण वादी मुकदमा डॉ. दिनेश भारती, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ की टाईपशुदा तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 37/2019 में धारा– 420 भा.दं.सं. में अभियुक्ता श्रीमती अनीता त्यागी पत्नी स्व. सुशील त्यागी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप–पत्र सं० 53/2019 प्रस्तुत किये जाने के आधार पर आरम्भ हुआ।

2. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "श्रीमती अनिता त्यागी पत्नी स्व० श्री सुशील त्यागी द्वारा

एम०टी०पी० अधिनियम 1971 की धारा 03, 04, 05 व आई०पी०सी० 1861 (मिसकैरेज सम्बन्धी धाराएं) व भ्रूणहत्या की धाराए आई०पी०सी० 302 व अपंजिकृत एवं अनाधिकृत रूप से चिकित्सा संस्थान का संचालन किया जा रहा था, जो आई०पी०सी० अधिनियम के अर्न्तगत धारा 420 का उल्लघंन पाया गया। अतः उपरोक्त के विरूद्ध एफ०आई०आर० दर्ज करने का कष्ट करें।"

3. वादी मुकदमा टाईपशुदा तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा 37/2019, अं०धारा 3/4/5 गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 व 313, 420 भा.दं.सं. में अभियुक्ता श्रीमती अनीता त्यागी के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा मौके का नक्शा–नजरी तैयार किया गया एवं गवाहों के बयान अंकित किये गये एवं बाद तमामी विवेचना विवेचक द्वारा धारा 3/4/5 गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 व 313 भा.दं.सं. का लोप करते हुए अभियुक्ता श्रीमती अनीता त्यागी पत्नी स्व. सुशील त्यागी के विरूद्ध आरोप–पत्र सं० 53/2019, अं०धारा 420 भा.दं.सं. में विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिंस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्ता उपस्थित आयी तथा अभियुक्ता ने अपनी जमानत करायी।

5. अभियुक्ता को अभियोजन प्रपत्रों की नकले प्रदान की गयी तथा अभियुक्ता श्रीमती अनीता त्यागी पत्नी स्व. सुशील त्यागी के विरूद्ध धारा– 420 भा.दं.सं. में दिनांक **15.05.2026** को आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्ता को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्ता ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्न साक्षियों को परीक्षित कराया है–

क्रम सं०	**अभियोजन साक्षियों के नाम**	**पी०डब्लू०**	**कागज सं०/नाम**	**प्रदर्श**
1.	डॉ. दिनेश भारती	पी०डब्लू०–1	तहरीर	क–1
2.	श्रीमती अफरोजी खातून पत्नी रिजवान	पी०डब्लू०-2	प्रार्थनापत्र दिनांकित 22.02.2019	क-2
3.	रिजवान पुत्र हमीद	पी०डब्लू०-3		

7. अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा आदेश पत्रक पर पृष्ठांकित किया गया है कि तथ्य के पर्याप्त गवाहान परीक्षित हो चुके हैं। एफ.आई.आर./फर्द तहरीर साबित की जा चुकी है। पीड़ित साक्षियों के बयान हो चुके हैं। अन्य गवाहान प्रस्तुत करने का औचित्य नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्ष्य समाप्त किया गया।

8. अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर, आरोप–पत्र व नक्शा–नजरी पत्रावली पर दाखिल किया है। अभियुक्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप–पत्र, नक्शा–नजरी व तहरीर आदि की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया।

9. अभियुक्ता के बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. दिनांक **20.07.2026** को अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्ता ने घटना को गलत बताया एवं गवाहों द्वारा झूठी गवाही देना कहा तथा सफाई साक्ष्य दिये जाने से इंकार किया।

10. **अभियोजन अधिकारी उपस्थित।** उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

11. प्रश्नगत् मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्ता पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–420 भा.दं.सं. को **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरेन्द्र सरकार बनाम स्टेट ऑफ असम 2008 ए०आई०आर० सुप्रीम कोर्ट 2467 व दिनेश सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2009 (67) ए०सी०सी० सुप्रीम कोर्ट पेज 737** में प्रतिपादित सिद्धांत के दृष्टिगत युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करना है।

12. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा **डॉ. दिनेश भारती हाल तैनाती मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद हापुड़** को बतौर पी०डब्लू० 1 परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "हम दिनांक 30.01.2019 को दोपहर करीब डेढ़ बजे मैं सी.एम.ओ. आफिस से आई टीम, जिसके ए.सी.एम.ओ. डॉ. रविन्द्र और ए.आर.ओ. आनन्द यादव, एस.डी.एम. फार्मासिस्ट गजेन्द्र के साथ मैं तथा लेखपाल ऋषिपाल के साथ अनीता त्यागी के अस्पताल में छापा मारने गया था। मैं सी.एच.सी. गढ़ में चिकित्सक अधीक्षक के पद पर तैनात था। अनीता त्यागी का अस्पताल नक्का कुआ रोड पर है। मौके पर हमें खुली क्लीनिक मिली जहां पर बाहर दो पेसेंट थे तथा अन्दर डाक्टरी सामान था। मौके पर हमने बरामद समस्त सामान जब्त करके फर्द बनायी। फर्द गजेन्द्र चौहान ने बनायी थी, जिसके बाद हमने औचक निरीक्षक आख्या ए.सी.एम.ओ. को दी तथा मेरी तरफ से For करके टाईपशुदा प्रार्थनापत्र देकर थाना गढ़ में मुकदमा पंजीकृत कराया। मूल तहरीर संलग्न पत्रावली है, जो वही है, जो थाने पर दी गयी है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। जो घटना थी, पुलिस को बता दी थी।''

13. अभियुक्ता की ओर से उक्त साक्षी से जिरह की गयी। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया कि "मुझे मेरी टीम द्वारा सूचना एक–सवा बजे दी थी। टीम ने सूचना मौके पर पहुंचने की बाद दी थी। उससे पूर्व मुझको टीम आने के आने की सूचना नहीं थी। घटना के समय मैं सी.एच.सी. गढ़ चिकित्साधीक्षक था। मुझे इस क्लीनिक के संबंध में कभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। औचक निरीक्षण आख्या उसी दिन क्लीनिक पर तैयार की गयी थी। 30.01.2019 को तैयार गयी थी। रिपोर्ट अधीक्षक गढ़ यानी मेरे द्वारा दर्ज करायी गयी थी। पत्रावली में जो प्रार्थनापत्र एफ.आई.आर. दर्ज कराने का लगा, उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। किसी अन्य के हस्ताक्षर है, जिस समय औचक निरीक्षण किया गया था। अनीता त्यागी मौके पर मौजूद नहीं थी, जो भी सामान वहां से बरामद किया गया था, उस समय अनीता त्यागी नहीं थी। अन्य लोग वहां पर थे। सामान जो बरामद किया था, वह लिखत–पढ़त में किया था। उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किये थे, मुझे याद नहीं है। मैंने उस बरामद सामान पर हस्ताक्षर नहीं किया था, जिससे मैं यह सिद्ध कर सकूं कि वहां पर अन्य लोग या मरीज बैठे हुए थे। उनके किसी भी व्यक्ति या महिला के हस्ताक्षर नहीं कराये थे। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि बरामद सामान की बनायी बरामदगी पर एस.डी.एम. ज्योतिराम, डॉक्टर रविन्द्र, आनन्द यादव, ऋषिपाल ने बनायी बरामदगी पर हस्ताक्षर किये थे या नहीं, मैं नहीं बता

सकता। इस घटना की रिपोर्ट 30.01.2019 को करायी थी, क्योंकि रिपोर्ट मेरे द्वारा नहीं लिखायी गयी थी। इसलिए मैं नहीं बता सकता कि एफ.आई.आर. की कॉपी उसी दिन मिल गयी थी या नहीं। निरीक्षण आख्या पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, न ही यह बता सकता हूं कि किस–किस के हस्ताक्षर हैं। निरीक्षण के समय कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं करायी गयी। मुझको यह जानकारी निरीक्षण करने वाली टीम ने बतायी थी कि यह क्लीनिक अनीता त्यागी का है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी तथा उनके बताये अनुसार अनीता तयागी के खिलाफ एफ.आई.आर. करायी थी। वह मकान किसका था, मुझे जानकारी नहीं थी।। हमें उस क्लीनिक या दुकान से डॉक्टर अनीता त्यागी के नाम से कोई ब्लड रिपोर्ट, एक्स–रे रिपोर्ट, अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट, दवाई का पर्चा या अन्य किसी जगह डॉ. अनीता त्यागी का लिखा हो, नहीं मिला। कभी भी रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में घटनास्थल पर नहीं बुलाया, न ही कभी नक्शा–नजरी बनाया। मुकदमा दर्ज होने के काद कभी भी मुलाकात नहीं हुई, न ही मुझसे पूछताछ की। यह बात सही है कि निरीक्षण के समय मौके पर डॉक्टर अनीता त्यागी मौजूद नहीं थी। यह बात सही है कि मेरे सामने अनीता त्यागी से मेडिकल संबंधी कोई भी सामान या उपकरण बरामद नहीं किया गया। यह बात सही है कि अनीता त्यागी का एफ.आई.आर. में उच्च अधिकारियों के बताये अनुसार लिखाया था। यह बात गलत है कि झूठा बयान दे रहा हूं।''

14. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले में साक्षी **श्रीमती अफरोजी खातून पत्नी रिजवान** को बतौर पी०डब्लू० 2 परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "आज मैं सम्मन पर उपस्थित हुई हूं। तब मुझे जानकारी हुईकि मुझे गवाह के रूप में बुलाया गया है। मैं कभी भी अनीता त्यागी के क्लीनिक नहीं गयी, न ही कभी ईलाज कराया है, न ही कभी डॉ. अनीता ने कभी गर्भपात कराया है। संलग्न पत्रावली प्रार्थनापत्र पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करती हूं, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है।'' **साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

15. अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी से जिरह की गयी, जिसमें साक्षी को धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह कहा कि पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया, कैसे लिख लिया, वजह नहीं बता सकता। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मात्र हस्ताक्षर कर लेती हूं। मैंने सादे कागज पर हस्ताक्षर कर दिये थे। यह कहना गलत है कि मैंने कभी अनीता त्यागी से पेट दर्द की दवा ली हो और अनीता त्यागी कोई अस्पताल चलाती हो। यह कहना गलत है कि सही बात न बता रही हूं।"उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया कि ''मैं आर्य साड़ी में एक साल तक काम किया हूं। काजल ने श्रीमती अनीता त्यागी द्वारा किये गये घटना का कभी जिक्र नहीं किया। भीड़ की धक्का मुक्की में उसे चोंटे आयी थी। आस–पास के लोगों के बताये अनुसार मुकदमा लिखा दिया था। यह कहना गलत है कि झूठी गवाही दे रहा हूं।''

16. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले में साक्षी **रिजवान पुत्र हमीद** को बतौर पी०डब्लू० 3 परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "आज मैं न्यायालय अपनी पत्नी अफरोजी के साथ उपस्थित आया हूं। मेरी पत्नी ने कभी भी अनीता त्यागी से दवा नहीं ली, न ही अनीता त्यागी किसी प्रकार का अस्पताल चलाती है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।'' **साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

17. अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी से जिरह की गयी, जिसमें साक्षी को धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह कहा कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया। यह कहना सही है कि समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि झूठी गवाही दे रहा हूं।''

18. अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत किये गये साक्षियों के बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि पी.डब्लू.–01 (वादी मुकदमा) द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि "वह अपनी टीम के साथ अभियुक्ता अनीता त्यागी के हॉस्पिटल पर छापा मारने गये थे तथा उनके द्वारा वहां पर अस्पताल में बरामद सामान को जब्त कर अस्पताल को सील किया गया।'' पत्रावली पर संलग्न औचक निरीक्षक आख्या, जो कि निरीक्षणकर्ता टीम के द्वारा बनायी गयी थी, संलग्न है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि डॉक्टर अनीता त्यागी द्वारा श्रीमती अफरोजी पत्नी रिजवान के तीन माह का गर्भपात किया गया तथा हॉस्पिटल से गर्भपात करने के उपकरण मिलना भी बताया गया है। उसी आख्या के आधार पर वादी के द्वारा डॉ. अनीता त्यागी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया, किन्तु संपूर्ण पत्रावली पर कहीं भी अभियुक्त डॉ. अनीता त्यागी के नाम से अस्पताल रजिस्टर्ड होना या अनीता त्यागी के नाम से अस्पताल संचालित किये जाने के संबंध में कोई भी प्रपत्र न तो निरीक्षण टीम द्वारा, न ही वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त अस्पताल अभी डॉ. अनीता त्यागी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। पी०डब्लू० 01 द्वारा स्वयं अपनी जिरह में कथन किया गया है कि ''डॉ. अनीता त्यागी मौके पर मौजूद नहीं थी।'' पी०डब्लू० 01 द्वारा यह भी कथन किया गया है कि ''मुझको यह जानकारी निरीक्षण करने वाली टीम ने बतायी थी कि यह क्लीनिक अनीता त्यागी का है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी तथा उनके बताये अनुसार अनीता त्यागी के खिलाफ एफ.आई.आर. करायी थी। वह मकान किसका था, मुझे जानकारी नहीं थी।। हमें उस क्लीनिक या दुकान से डॉक्टर अनीता त्यागी के नाम से कोई ब्लड रिपोर्ट, एक्स–रे रिपोर्ट, अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट, दवाई का पर्चा या अन्य किसी जगह डॉ. अनीता त्यागी का लिखा हो, नहीं मिला।'' जिससे यह स्पष्ट होता है कि अनीता त्यागी के द्वारा डॉक्टर के रूप में प्रेक्टिस करने के संबंध में कोई साक्ष्य निरीक्षण टीम या वादी को प्राप्त नहीं हुए। अभियोजन की ओर से वादी के अतिरिक्त निरीक्षण टीम के किसी भी सदस्य का साक्ष्य अंकित नहीं कराया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि क्यों उनके द्वारा अनीता त्यागी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। निरीक्षण आख्या में पीड़िता अफरोजी खातून के बयान अंकित किये गये। पीड़िता तथा उसके पति को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया। पी०डब्लू०– 02 तथा पी०डब्लू०– 03 द्वारा न अपनी मुख्य परीक्षा में, न हीं जिरह में अभियुक्ता अनीता त्यागी द्वारा किसी भी प्रकार के इलाज करने से इंकार किया गया है। अभियोजन द्वारा पत्रावली पर विवेचक को भी परीक्षित नहीं कराया गया है। पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों में न तो मौखिक, न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अंकित किया गया है, जिससे कि अभियुक्ता का अविधिक रूप से डॉक्टर के रूप में प्रेक्टिस करना अथवा गैर कानूनी रूप से गर्भपात कराया जाना स्पष्ट होता हो। विवेचक के द्वारा अभियुक्ता के विरूद्ध अंतर्गत धारा 420 भा.दं.सं. में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, किन्तु प्रस्तुत किये गये किसी भी साक्षी द्वारा अभियुक्ता के द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या छल किये जाने का अपराध सिद्ध नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा स्वयं ही अपना साक्ष्य समाप्त किया गया है, शेष साक्षीगण प्रस्तुत

नहीं किये गये, जिससे अभियोजन के विरूद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 की उपधारणा उत्पन्न होती है।

19. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 यह अवधारित करती है कि ''**<u>न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा</u>–न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा, जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह सम्भाव्य समझता है।''**

(छ) न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि **''यदि वह साक्ष्य जो पेश किया जा सकता था और पेश नहीं किया गया है, पेश किया जाता तो उस व्यक्ति के प्रतिकूल होता, जो उसका विधारण किये हुए है।''**

20. उक्त उपधारणा के आलोक में अभियोजन के विरूद्ध यह उपधारित किया जा सकता है कि यदि उसके समस्त साक्षी प्रस्तुत किये जाते तो वह उसके विरूद्ध साक्ष्य देते, इसीलिए अन्य साक्षी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

21. पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के किसी भी साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से घटना का अन्य कोई ठोस स्वतंत्र साक्षी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है, परन्तु उपरोक्त साक्ष्य सम्पोषक साक्ष्य की श्रेणी में आता है, जबकि अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत मौलिक साक्ष्य से अपना मामला अभियुक्ता के विरूद्ध सभी युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है, मात्र सम्पोषक साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्ता को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में अभियोजन अपना मामला उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्ता उक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

22. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***सुखदेव यादव बनाम बिहार राज्य एआईआर 2001 सुप्रीम कोर्ट 3678*** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "यह अभियोजन का दायित्व है कि वह अपना केस निश्चितता से परे साबित करे। अभियोजन के केस में आये संदेह का लाभ अभियुक्ता पाने का अधिकारी है।'' माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था ***हरवीर सिंह बनाम शीशपाल एआईआर 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 4958*** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "आपराधिक विधि शास्त्र का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्ता को दोषसिद्ध करने के लिए सभी तर्कसंगत पूर्ण संदेह से परे साबित करना होगा। अपने मामले को सभी तर्कसंगत पूर्ण संदेह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और यह भार कभी भी नही बदलता।''

23. उपरोक्त की गयी परिचर्चा तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन, अभियुक्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक व्यवस्था 2017 (1) सुप्रीम कोर्ट 129 भगवान जगन्नाथ मार्कंड बनाम महाराष्ट्र राज्य** में प्रतिपादित

सिद्धांत से सुसंगत है। **"It is acceptable principle of criminal jurisprudence that the burden of proof is always on the prosecution and the accused is presumed to be innocent unless proved guilt. The prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt and the accused is entitled to the benefit of reasonable doubt".** अतः अभियुक्ता संदेह का लाभ पाने के अधिकारी है। निष्कर्षतः अभियुक्ता श्रीमती अनीता त्यागी पत्नी स्व. सुशील त्यागी पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–420 भा.दं.सं. से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता **श्रीमती अनीता त्यागी पत्नी स्व. सुशील त्यागी** निवासी नक्का कुआ रोड, कस्बा व थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश को **वाद संख्या 199/2020, मु.अ.सं. 37/2019, सरकार बनाम श्रीमती अनीता त्यागी, अंतर्गत धारा–420 भा.दं.सं., थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़** के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्ता जमानत पर है। अभियुक्ता के जमानतनामे तथा व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते है तथा जमानतदारों को अभियुक्ता की जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अं०धारा 437ए दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुपालन में अभियुक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के खिलाफ अपील किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा एवं अभियुक्ता इस आशय का 25,000/– रुपये का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान राशि का एक जमानती दाखिल होगा। यह बन्धपत्र 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक –29.07.2026

(पारूल कुमारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर
हापुड़।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक –29.07.2026

(पारूल कुमारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर
हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.07.31 12:19:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court